

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम।

प्रपत्र-2

पत्रांक 433

दिनांक 13-08-2020

प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य,  
काशीडीह टाई स्कूल,  
साकची, जमशेदपुर।

विषय :- विशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए इस्टर्स्ट किशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विभागीय 2011 के विभाग के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

**महोदय,**

आपके द्वारा दिनांक 01.10.2019 को समर्पित आवेदन के आधार पर काशीडीह टाई स्कूल, साकची, जमशेदपुर को शैक्षणिक राज 2019-20 से कक्ष 1 से VIII तक के लिए अद्योतित शर्तों के अधीन औपचार्यिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मान्यता विभिन्न शर्तों के अधीन है:-

- इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्ष 8 के तत्पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई आव्याता विहित नहीं है।
- विद्यालय किशुल्क और अविवार्य शिक्षा का अधिकार अधिविभाग 2009 एवं इस्टर्स्ट किशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विभागीय, 2011 के उपबंधों को पूर्णपूर्ण पालन करेगा।
- विद्यालय अपनी प्रयत्न कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पाईस के कमज़ोर एवं अभिवृद्धि वर्ग के बच्चों को प्रयोग प्रदान करेगा और उन्हें किशुल्क और अविवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिविभाग की धारा-12 की उपाया (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्वित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
- विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैफियेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का ऊर्जीविंग टेस्ट नहीं लेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सम्बन्ध नहीं होने के कारण, प्रयोग देने से इंकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिविभाग की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
- विद्यालय विभिन्न विद्युतों पर अनुपालन सुनिश्चित करेगे
  - प्रयोग दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्ष में अनुपीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से विष्कृति नहीं किया जायेगा;
  - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा;

*s av w*

*S*

*Jyoti*  
ADMINISTRATOR  
JEM Foundation

*A.J.T.*  
Principal  
Kasildih High School  
Sakchi, Jamshedpur

- iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार विशेषज्ञानीयों को प्रवेश दिया जाएगा;
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सशम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम् अहतांकों के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम् अहतांक, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पौंछ वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहतांकों अंजित कर लेंगे;
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे; और
- viii. अध्यापक रखाय को किसी भी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियनों को बाहर रखेगा।
10. विद्यालय के परिसार के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कराएं वही चलाइ जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वही चलाया जाएगा।
13. विद्यालय के लेखांगों की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिना शिक्षा अधीकार को भेजी जाएगी।
14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जालकारी प्रत्युत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा विदेशक/जिला शिक्षा अधीकार द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सातत अनुपालन को सुनिश्चित करें या विद्यालय के कार्यकरण की किसीं को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गोट्टे किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जाएगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सूनिश्चित किया जाएगा।

*[Handwritten signatures]*

**Administrator  
JEM Foundation**

*[Handwritten signature]*  
**Principal  
Kasidih High School  
Sakchi, Jamshedpur**

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रॉकी के पत्रांक 1148 दिनांक 18.07.19 के कठिका 2 के आलोक C.B.S.E./C.S.E. से Extension तथा उक्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, झारखण्ड, निःशुल्क और अनियार्थ वाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली, 2011 के तहत नवअधिसूचित विभागीय अधिसूचना सं0 629 दिनांक 25.04.19 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप कठिपय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्पतलप आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर सम्बन्धित उपायुक्त, पूर्णी सिंहभग्न से सहमति प्राप्त कर, औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है। यदि विद्यालय प्रबंधन विभागीय अधिसूचना सं0 629 दिनांक 25.04.19 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप विराकरण करने में विफल रहता है तो विद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा विधिबुद्धार अन्य कार्रवाई की जाएगी।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक- 018..... है। वृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाए।

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पूर्णी सिंहभग्न, जमशेदपुर।  
*12.07.19  
W  
12.07.19*

*Administrator*  
JEM Foundation

*Principal*  
Kasidh High School  
Bakchi, Jamshedpur